

गायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली


मु० न०- 118 / 2020

तारीखरजु- 21.10.2020

उनवान:- राधेश्याम बनाम जीतेश वगै०


दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

1-10-2020	<p>वादी की ओर से श्री संजय कुमार गहलोत एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से वाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 10.11.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (दुर्गा प्रसाद मीना)                      उप जिला कलक्टर                      टोडाभीम जिला करौली                 </p>
-----------	---

5612-13  
21.10.2020

10.11.20	<p>वादी वकील उपरो प्रतिवादीगण की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल की ओर से कालतनामा पेश किया। P.O. ला० 31/11/20 पर की जाकर पेश के लिए दि० 17.12.20 को पेश हो।</p>
----------	---

23.11.20	<p>वादी एवं वादी वकील ने प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब करने पेश किया। पत्रावली तलब की गई। वादी एवं वादी वकील ने प्रार्थना पत्र यह भी पेश किया कि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है मुकदमा डीको चलाता नहीं चाहते है मुकदमा विद्रो का खारिज कर दिया जावे। इसी प्रकार दावा Not- Press किया है अतः दावा Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल प्रसार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (दुर्गा प्रसाद मीना)                      उपजिल्ह अधिकारी टोडाभीम                      जिला-करौली                 </p>
----------	--

Quintan  
4841054  
VRS  
(कोडाभीम)